

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

नाथूलाल वगै० बनाम रामवतार वगै०

किस्म मुकदमा— स्थानान्तरण प्रा०पत्र

नम्बर 97—सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2026	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि जिस प्रकरण को प्रार्थीगण द्वारा दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण में उपखंड अधिकारी लवाण के द्वारा 26.11.2025 को ही निर्णय पारित किया जा चुका है। अब स्थगन प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विचाराधीन स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकरण को अन्य उपखंड अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, का निर्णय उपखंड अधिकारी लवाण के द्वारा दिनांक 26.11.2025 को ही पारित किया गया है। अतः स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी लवाण को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>Navindra</i> जिला कलक्टर दौसा</p> <div style="text-align: center;"></div>	

